फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती गीताबाई **विपक्षी : राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 60/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 31.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कैम्प घासा में पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय वादीगण उपस्थित। तहसीलदार मावली द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्ष को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में वादी द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता/पति का नाम राजस्व रेकार्ड में भेरूलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम लोगर है जिसे संशोधित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार मावली द्वारा जांच रिपोर्ट पेश किया जिसमें भेरूलाल व लोगर को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। रिपोर्ट अनुसार वाद को स्वीकार किया जाने पर सहमति व्यक्त की हैं। वादी द्वारा पहचान स्वरूप मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की प्रति पेश किये जिनमें सभी में वादी के पिता/पति का नाम लोगर डांगी दर्ज हैं। राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने से वादी को काफी कठिनाईयों को सामना करना पड रहा हैं। तहसीलदार मावली के अनुसार भेरूलाल व लोगर एक ही व्यक्ति होना जाहिर आया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा की आराजी नम्बर 794, 831, किता 2 रकबा 152 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 795, 829, 830, 2517/795 किता 4 रकबा 125 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1010 से 1013 किता 4 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1894 से 1896 किता 3 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 689, 700, 704, 720, 737, 1232, 1237, 1846, 1848, 1849, 1887, 1897, 1902 किता 13 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि में वादी के पिता/पति का नाम भेरूलाल डांगी के बजाय भेरूलाल उर्फ लोगर डांगी दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:11:22 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मयंक मनीष, I.A.S

उनवान

1. श्रीमती गीताबाई पत्नी लोगर डांगी निवासी सांगवा तह. मावली।
2. श्री रमेशलाल पिता लोगर डांगी निवासी सांगवा तह. मावली।
3. श्री पुरण पिता लोगर डांगी नाबालिग बविलायत माता गीताबाई पत्नी लोगर डांगी निवासी सांगवा तह. मावली।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का सांगवा तह. मावली।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 60/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00126

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष, I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राज. का. अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा सांगवा पटवार हल्का सांगवा की आराजी नम्बर 794, 831, किता 2 रकबा 152 बीघा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 795, 829, 830, 2517/795 किता 4 रकबा 125 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 1010 से 1013 किता 4 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा, आराजी नम्बर 1894 से 1896 किता 3 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 689, 700, 704, 720, 737, 1232, 1237, 1846, 1848, 1849, 1887, 1897, 1902 किता 13 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा भूमि में वादी के पिता/पति का नाम भेरूलाल डांगी के बजाय भेरूलाल उर्फ लोगर डांगी दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.12.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष IAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2022.01.21 11:11:22 IST
Reason: SelfAttested